कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा म.प्र.
विविध आदेश

पत्र कमांक 82 /2020 रीवा, दिनांक 06.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र कमांक ए/851 दिनांक 20.03.2020, क्यू–5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का परिपत्र कमांक क्यू–12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तदाउपरान्त जारी किया गया परिपत्र कमांक ए/911 दिनांक 05.05.2020 के परिपेक्ष्य में अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1– न्यायालय में अति–आवश्यक कार्य के अतिरिक्त ऐसे मामलों में सुनवाई जिनमें पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जैसे क्रिमिनल रिवीजन, विविध अपील, सिविल रेगुलर अपील, ऐसे मामलों जो अंतिम निराकरण के प्रकम में है, व उभयपक्ष अधिवक्तगण जिनमें शीघ्र सुनवाई की मांग करते है, इत्यादि की सुनवाई वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालय समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक की जा सकेगी। जबकि कार्यालय समय का प्रातः 10:30 से दोपहर 02:00 बजे होगा।

2– न्यायाधीशगण उभयपक्ष के अधिवक्तागण से सम्पर्क कराया जाकर उनकी सहमति से उपरोक्तानुसार मामलें दाण्डिक रिवीजन, विविध अपील, सिविल रेगुलर अपील, ऐसे मामले जिनमें अन्तरवर्ती आवेदन लम्बित है, ऐसे मामलें जो अन्तिम प्रकम में है, निकट की सुनवाई की तिथि नियत करेंगे, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निराकरण हो सके। शेष प्रकरणों में जिनमें निकट की सुनवाई की तिथि नियत नहीं की गयी है, वह सभी प्रकरण दिनांक 04.05.2020 को आदेशानुसार नियत की तिथि में ही सुनवाई योग्य मान्य किये जावेगे।

3– न्यायालय द्वारा निकट में सुनवाई योग्य प्रकरणों की जिनमें उपरोक्तानुसार तिथि नियत की गई है, कॉज लिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें अधिवक्तागण का नाम उल्लेखित हो, जो सी.आई.एस. अथवा न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट में प्रसारित किया जावेगा, जिसकी भौतिक प्रति न्यायालय के मुख्य द्वार पर चस्पा की जावेगी।

4– जिला न्यायालय के ऐसे समस्त अनुभाग जिसमें नकल शाखा भी सम्मिलित है, में आम जन का प्रत्यक्ष सम्व्यवहार बंद रहेगा। शीघ्र नकल हेतु आवेदन ऑनलाईन अथवा स्थापना की ईमेल आई.डी पर प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पर किसी भी प्रकार त्रुटि अथवा राशि कम की सूचना आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भेजी जावेगी। नकल तैयार होने पर आवेदक व्यक्तिगत रूप से नकल शाखा के काउन्टर पर उपस्थित होकर नकल प्राप्त करेगें अथवा उसकी ईमेल आई डी पर नकल की स्केन कॉपी भेजी जावेगी।

5– न्यायालय में वीडियों कान्फ्रेसिंग की सुनवाई उस न्यायालय में स्थापित वी. सी. यूनिट से जिन न्यायालय में यह सुविधा नहीं है, उस न्यायाधीशगण के समीप के न्यायालय में उपलब्ध वीडियों कान्फ्रेसिंग यूनिट द्वारा सुनवाई की जा सकेगी। इसी तरह अधिवक्तागण अपने कार्यालय/आवास/जिला न्यायालय परिसर/अभिभाषक संघ का हॉल, जो भी स्थापित होकर सुविधाजनक हो से अपने प्रकरणों की पैरवी कर सकेगे। उक्त स्थानों पर वी.सी. की सुविधा अन्तिम होने की स्थिति में पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

6— माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर द्वारा अथवा अन्य न्यायालयों द्वारा जमानत संबंधी आदेश/अन्य आदेश के पालन हेतु किसी कारण वश भौतिक प्रमाणित प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑनलाईन उपलब्ध आदेश की प्रति मान्य की जावेगी, जिसे अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र सहित प्रमाणित किया जाना होगा।

7— वीडियों कान्फ्रेसिंग के पोईट आवश्यकतानुसार बढ़ाये जा सके। वीडियों कान्फ्रेसिंग के सम्पूर्ण पोईट स्थापित होने पर उन पोईटों का प्रबन्धन, उपयोग की स्थिति के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

8— माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के परिपत्र डी/1985 दिनांक 06.05.2020 के अनुसार यदि जिले में या जिले के किसी भाग में कर्फयू लगता है, तब उस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया सरकुलर क्यू—12 दिनांक 04.05.2020 के तारतम्य में सरकुलर नम्बर ए/911 दिनांक 05.05.2020 के निर्देश आगामी आदेश तक के लिए रोके जा सकेगे।

अरूण कुमार सिंह
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा म.प्र.

पत्र कमांक Q2 /2020 रीवा, दिनांक 06.05.2020

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1— माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
2— समस्त न्यायालय................रीवा/मउगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
3— प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा।
4— नजारत/मालखाना/प्रतिलिपि/सांख्यिकीय/लेखा/ग्रन्थालय/कम्प्यूटर अनुभाग, जिला एवं तहसील न्यायालय।
5— प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6— अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, रीवा/तहसील अभिभाषकगण मउगंज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6— जिला दण्डाधिकारी, रीवा।
7— पुलिस अधीक्षक, रीवा।
8— जिला लोक अभियोजक अधिकारी, रीवा।
9— जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा।
10— जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रीवा।
11— प्रस्तुतकार जिला न्यायाधीश, रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा म.प्र.

Scanned by CamScanner